कार्यवाही विवरण

मेसर्स अकलसरा डोलोमाईट माईन (प्रो. गिरवर अग्रवाल) ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती के कुल क्षेत्रफल–4.007 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–2,50,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् **दिनांक 26/05/2023 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान :– अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास, अकलसरा के समीप स्थित मैदान, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती (छ.ग.)** में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स अकलसरा डोलोमाईट माईन (प्रो. गिरवर अग्रवाल) ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती के कुल क्षेत्रफल–4.007 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–2,50,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में **स्थानीय समाचार पत्र नई दुनिया, बिलासपुर में दिनांक 20.04.2023 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 20.04.2023** को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई **दिनांक 26/05/2023 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान :– अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास, अकलसरा के समीप स्थित मैदान, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती (छ.ग.)** में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–सक्ती, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय, जिला पंचायत जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती, जिला–सक्ती, महाप्रबंधक, कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, **सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत–खम्हरिया, दर्राभाठा, ठठारी, अकलसरा, केकराभाठा, भोथिया, झालरौंदा, लोहराकोट, छीतापडरिया, भोथिडीह, बर्रा, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती (छ.ग.),** डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य

वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 26/05/2023 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान :– अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास, अकलसरा के समीप स्थित मैदान, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती (छ.ग.) में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री विरेन्द्र लकड़ा अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–सक्ती द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से उद्योग प्रतिनिधि श्री विकास केडिया, व श्री बी. डी. पाण्डेय, अल्ट्राटेक एन्वॉयरमेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के द्वारा मेसर्स अकलसरा डोलोमाईट माईन (प्रो. गिरवर अग्रवाल) ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अपर कलेक्टर, एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–सक्ती द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री रवि कुमार लहरे, ग्राम–लोहरकोर्ट** :– खदान खोलने जा रहा है। हम लोगों को रोजगार मिलेगा। गौण खनिज का पैसा हमारे ग्राम पंचायत में आता है। तो हमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नही है।

2. **श्री जगदीश प्रसाद चंद्रा, ग्राम–अकलसरा** :– पुराना बन गये है ऐमा कितना कन हे। आदमी अनाप–सनाप खन के बेचत हे। कोई मतलब नहीं है मैं पूछत हव।

3. **श्री कन्हर सिंह मरावी, ग्राम–अकलसरा** :– मैं प्रतीयूश गोयल से नराजगी है। 15 साल से खदान चलात है मैं भरपाई कराना चाहत हव।

4. **श्री समय लाल, ग्राम–कोसमपाली** :– हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। हमारे क्षेत्र में विकास होगा, रोजगार मिलेगा, मेरा कहना है।

5. **श्री लालन सिंह सिदार, ग्राम–अकलसरा** :– गांव में अनेक प्रकार के सुविधा देही। स्वास्थ के लिए लईका मन के उपचार कराही व गोद लेकर लिखाही–पढाही। मोर तीन लईका है। ओला नौकरी लगा दे। एक–दू झन बीमार से पीढीत है ओला जतन कर दे। पर्यावरण, स्वास्थ, शिक्षा व जल सही काम हे, बहुत सारा बेरोजगार ला 10 झन ल नौकरी लगावा। 10 झन लईका ला नौकरी लगा देंहें, गांव के जवाब मैं लेवत हव।

6. **श्री जगदीश प्रसाद चंद्रा, ग्राम–अकलसरा** :– पेड के ठन लगाये हे, नाला के गंदा पानी छोडत हे, पेड–पौधे मर गये है। धूल–डस्ट अतका बहत हे। अरविंद सोनी खदान खोले है। मंडी खोल देईस हे का क्या किसान बिगाड देईस। मंडी खुलना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए, ब्लास्ट होते। मैं नई बोलत हव कि नियम में सिस्टम होवय। नियम फालो नहीं होवत हे। गांव के मन जानना चाहत हे, येहू ला बता दे। कतका दुख के बात है। पंचायती चलात रहीस। सरकारी जमीन फसत हे। वो कने

मंडी खोलन नहीं देवत हे। पत्थरा खदान खुलही। स्कूल ला अलग जगह मा बनवाये हे, 5 एकड़ जमीन लिये हे। नरवा के पानी कैसे होवत हे। सरकारी जमीन भी है ओमा। खोले, नियम ताक के खोले। 22 लाख एकड़ मा बेचत हे। 32 लाख मा बेचत हे। जमीन के रेट हे 22 लाख हे।

7. **श्री महेन्द्र सिंह सिदार, जनपद सदस्य, ग्राम–अकलसरा** :– ये जो प्रस्ताव दे हे। 2007 के सरपंच कौन रहीस हे। हमर गांव मा दो माइंस चलत हे। ओहू मन जन सनुवाई लगा था आप मन औपचारिकता निभाये वाला काम चलत हे। धान खरीदी केन्द्र बन चुके है। गौठान छीन भिन्न हो गये है। धान खरीदी के बारे मा कहे रहेन। कोई मतलब नहीं हे। जनता प्रश्न सवाल करत है संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए। 807 बेनामी नाम बतावत हे। शासकीय भूमि मा लीज कैसे देये रहीस। आप मन फैसला करहा। पढकर सुनाये हे होना कुछ नहीं है। गांव के लईका बेरोजगारी बर भटकत हे। जल स्तर बहुत नीचे चले गये हे। हैण्डपंप मा 3–4 पाईप डाले हे। खदान खुलही तो समस्या के समाधान होही। जन सुनवाई गांव बस्ती पर होना रहीस।

8. **श्री फेकूलाल सोनवानी** :–हमारे ग्राम पंचायत में जो दिन से होता आया है। जितना भी कर्म किये गये है हमको गुमराह में रखे हुये है। शुरू से कौन इसको स्टार्ट किया। हमारे ग्राम पंचायत में धरती माता को बेचने की कोशिश किया गया। उनसे ये पूछना चाहता हूँ। हमारा नींव खराब नहीं होता तो मकान खराब नहीं होता। इनके बारे में निर्णय कीजियेगा। सबको लिखाये है, पढाये है। ये ऐसे कैसे संगठन बना लिये है। अपनी मॉ है, अकलसरा ही नहीं। यहां के बुजुर्ग सरपंची किये है। मैं तो ये कहना चाहूंगा इसका जड को पकडीये। हमारे पब्लिक को दिखाये हमारी धरती मां को बेचने मत दिजीए। खदान नहीं खुलना चाहिए।

खदान खोलवाना बंद करो, बंद करो के नारे लगाये गये। खदान खोलवाना बंद करो, बंद करो, नियम का पालन करना होगा, करना होगा

9. **श्री संजू कुमार चंद्रा** :– जनता सवाल का जवाब दीजिए।

10. **जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा** :– ये डोलोमाईए एरिया को खरीद लिया गया है। 10 दिन पहले जनसुनवाई कराई जा रही थी। आज फिर अकलसरा में

दोहराया जा रहा है। वॉटर लेबल कहां है, यही से बजंती नाला बहता था। होली तक बहता है। लोग पेयजल के लिए तरस रहे है। पानी लाना पड रहा है। पर्यावरण की क्या स्थिति है यहां साफ है। यहां हैवी गाड़ी चलेगी जो प्रतिबंधित है। यहां से खत्म कीजिए। पूरी जनता बैठी है। यहां कोई व्यवस्था नहीं है। क्या इनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। खाना पूर्ति कर लें। यहां गवर्नमेंट से चबुतरा बना है वहां स्टे लग गया है। बगल में नाला है। यहां हाईस्कूल का क्या होगा, बच्चो का क्या होगा। फोर व्हीलर चलना मुश्किल है। 2 साल में आता है उसका मालिक। हम उसको देखते रहते है। आप इसको खत्म करीये। थोडा सा राहत दीजिए।

11. **श्री चंद्राकर** :– यहां पर विरोध करे बर इकट्ठा होवत है। जल, जंगल, जमीन रक्षा पर प्रयास करत हन। जल जंगल के लुटे के काम करे हे। ये जनसुनवाई जनता के हीत बर हम सब झन आये हन। मैं निवेदन करत हव किसान भाई मन खदान नहीं खोलना है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार ला देव। खेती किसानी कहां जाही। सब यहां व्यापारी मन आईस। खनिज भू माफिया आईस हमन तीव्र विरोध करत हन। जनता नहीं चाहत है नया डोलोमाईट नहीं खुलना चाहिए। ये कमीशन खोरी बर आये हे। जनता का पैसा जनता के हाथ में रहे। अकलसरा मा खदान खुले। शासकीय भूमि का शोषण करे हे। नीजि भूमि के पट्टा लिये है ओखर बर कार्यवाही होये है। जैजैपुर के जनता, नहीं खुलना चाहीए।

12. **जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा** :– पिछले बार सुनवाई हुई 50–60 झन विरोध मे बोले थे। जन सुनवाई हुआ। कुछ तो प्राथमिकता मिलना चाहिए। खदान खुलन से पानी का जल स्तर निचे चला गया है। उसे नष्ट किया गया है। 7–8 लाख का चबुतरा बनाया गया है, धान खरीदी केन्द्र बना है। अरविंद सोनी डोलोमाईट द्वारा आपत्ति लगाया गया है। उनसे भी निवेदन किये है सुनवाई नहीं हुआ। अकलसरा से भोथिया रोड इन्ही के द्वारा नष्ट किया गया। अरविंद सोनी का गौचर क्षेत्र है। हमारे यहां गौचर जमीन है। प्रार्थना करते है जो चल रहा है उसे बंद कराया जाये। ये हमारी मांग है। हमें कोई लाभ नहीं है। केकेराभाटा–भोथिया का जल स्तर कम हो रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है हम लोगों का खेत है, उत्पादन नहीं हो रहा है। किसान का 5 दिन, 5 रात तक चालू किया खदान के कारण पानी अंडर ग्राउंड हो जाता है। इस खदान का विरोध करते है हमारी प्रार्थना को स्वीकार करीये।

13. **श्री विजय कुमार महिलॉगे, ग्राम–अकलसरा** :– मैं ग्रेजवेट हूॅ ये खदान खुले मैं सहमत हूॅ कि खदान खुले।

14. **जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा** :– डोलोमाईट खदान खुलना चाहत हे, ओखर तारीख आपमन बता देवा। आपसे निवेदन है कि सब के, आपके पास आवेदन पहुंचे हे। आपमन जवाबदारी अधिकारी हे प्रश्न के जवाब देथा। किसान भाई मन, जवाब नही मिलत हे। जन सुनवाई रखे हे। धान उत्पादन बंद हो जाथे। अकलसरा मा खदान मत खोलव। आपमन समझीये।

15. **जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा** :– वहां पर शासकीय हाई स्कूल संचालित है, चबुतरा भी बन चुके है। हमार गांव वाले के समस्या है, पानी के समस्या होवत हे, समस्या को दूर करा।

16. **सरपंच, ग्राम अकलसरा** :– अकलसरा मा खदान खुलत हे, खम्हरिया मा खुले हे दर्राभाटा से जाना है। छीतापंडरिया मा भी खदान खुले हे। खदान नहीं खुलना चाहिए। घोर निंदा करत हव। दुख हमन ला मिलत हे।

17. **जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा** :– मैं समर्थन नहीं देवत हव। मैं खिलाफ हव। कई हजार करोड़ टन निकल गये हे।

18. **जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा** :– खदान नहीं खुलना चाहिए।

19. **श्री संतराम, ग्राम–सारागांव** :– ये खदान खोलीस हे, ये क्षेत्र के भोले–भाली जनता है। कोई पट्टा प्राप्त कर लिये है। कई पंचायत मन ला जानकारी नहीं होईस हे। तोर गांव किसान के भला होईस। ये धोखा देकर लिखवा लेईस। ये मशीनरी से काम होही, मजदूर के काम नहीं होही। बहुत सारा खदान खुल गईस हे। किसान के धान नुकसान होही। धूल, धुआं ऐतका ज्यादा हो जावत हे, एक्सीडेंट हो जावत हे। धोका झन देवा किसान मन के साथ। पर्यावण के बहुत नुकसान होही। हमन विरोध करे हन। धोखा मा दस्तखत कर डाले हव। हमर सारागांव मा 1 डिसमिल जमीन नहीं है। ऐतका जाली फर्जी हवय। पर्यावरण बर ध्यान देवा। खदान खोले मत देवा।

20. **श्री कृष्ण कुमार केवट** :– हमन डाईव्हर आदमी कहां से जीवो खाबो। हमन पढे लिखे नहीं हवन। पैसा 4000 लायसेंस बनाने के देकर आये हव। बेरोजगार मन के कुछू नहीं होवत हे। अपन–अपन कमा थे।

21. **जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा** :– मैं इस खदान का विरोध करता हूॅ। जमीन की रजिस्ट्री करवा लेते है। ग्राम पंचायत में कार्यक्रम, स्कूल, गौठान के लिए दर–दर भटकना पडता है। स्कूल के 100 मीटर की दूरी पर खदान खुल रहा है। धान केन्द्र संचालित भी नहीं हुआ। ये डोलोमाईट खदान वाला कहता है। झालरौंदा में सूचित किया गया था, सरकारी जमीन को 2 लाख में बेचा गया है। गांव के सरकारी जमीन को खरीदा जा रहा है। प्रभावित की जा रही है। गांव में नाना प्रकार के सडक, मंदिर बनवायेंगे। ऐसे स्थिति हमारे किसान भाईयों को हो रहा है। खदान खुल भी गया। सरपंच के एनओसी देने पर खुल जा रहा है। गांव प्रदूषित हो रहा है। ये क्षेत्र में डोलोमाईट खदान है जो कि ये सरकार की संपत्ति है। ये गलत है। लीज बन रहा है। कुछ प्रतिशत ग्राम पंचायत, जनपद की राशि को हर पंचायत को देने के लिए हो रहा है, करोड़ रूपये जा रहा है। ये गलत है। आसपास 10 किमी. में बराबर दिया जाये। खदान का घोर विरोध करता हूॅ।

22. **जन समुदाय में से किसी महिला ने कहा** :– हमारे खम्हरिया में रोड़ की समस्या है। पढाई करने में दिक्कत हो रही है। रोड बनाने की कृपा करें। खदान की हाईवा हमारे गांव से गुजरती है। कितने मजदूर लगाये गये। आप लोगों को रोजगार दिया जायेगा। डोलोमाईट खदान में ब्लास्टिंग वाले मजदूरो को रखा गया है। यहां से पलायन नहीं करते है। खदान खोला गया है गांव वालों को रोजगार दिया जाये।

23. **श्री रामप्रिय यादव** :– यह खदान खोलने की परमीशन दिये है। मजदूर का एंट्री का रजिस्टर भरा है क्या? दर्राभाटा से भोथिया तक सडक में जाओगे तो साईकिल पंचर हो जाता है। कभी रोड बनवाये है। पानी डलवा देते, धूल उड रहा है। यहां घोर विरोध है। खदान नहीं खुले। मजदूर लीडर था पहले। जो चल रहा है। बाराद्वारा का क्रेशर चलता है। मोटर साईकिल वाला गिर जाता है। मिट्टी डाल देता है। हर चीज पहुंचा रहा है। हमारे तरफ से घोर विरोध है। नाम ही नहीं है रोज गाडी चल रहा है। खम्हरिया माइंस चल रही है। बंद करीये, उसको जो चल रहा है सही लोगों को पैमेंट मिलना चाहिए। आ गये माइंस खोलने घोर अत्याचार है भाई यहां माइंस मत खोलिये।

24. **जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा** :– जन सुनवाई के समस्या के हल करे बर आये हे। किसान मन के खेती के समय आये हे। खातू मांगत हे किसान, अभी नंबर नहीं आये हे। अकलसरा मा ज्यादा बोलना नहीं चाहत हव। हमर क्षेत्र मा, आप से निवेदन है कि मोटर साईकिल मा दौरा करके देखा। आप मन गार्ड रखे रहा एक बार दौरा करके देखा।

25. **सरपंच, ग्राम–खम्हरिया** :– पर्यावरण से संबंधित लोक सुनवाई को तत्काल फेका जाये। जो खदान खुला है, बंद किया जाये। आज तक गेंदा का फूल नहीं खिला है। तत्काल बंद किया जाये, तंबू हटाया जाये। पंचायत में क्या चीज हो रहा है। एक भी रॉयलटी पर्ची नहीं जाती है। आज तक कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। ततकाल इसको बंद किया जाये।

26. **श्री साहू,** :– आज के जन सुनवाई का घोर विरोध करता हूॅ। पर्यावरण का कितना पालन कर रहे हे। नाले के 50 मीटर के बाद खुलना है। 10–20 मीटर में खोला जा रहा है। हम विरोध करते है। इसका पालन नहीं करते है। ओव्हर लोड गाडी चला रहे है। इसका प्रावधान नहीं है। रोक नहीं लगाया जाता है। आम जनता गढ्ढे में चल रहा है। बरसात के दिनों में पानी भरा है। इसका हम घोर विरोध करता हूॅ।

27. **श्री विरेन्द्र सूर्यवंशी, ग्राम–बाराद्वार** :– घंटो हम लोगों का फाटक बंद रहता है। परिवहन में रोड जाम रहता है। किसी भी क्रशर को एनओसी नहीं दिया जाये।

28. **जन समुदाय में से किसी व्यक्ति ने कहा** :– ये प्लांट खुले कोई चाह रहे है क्या ? उन सब की जन भावना को देखिये, आरोप आ रहा है। कागज ले के कितने लोक समर्थन में लिखकर दिये और कितने लोग असमर्थन में दिये है। जन भावना है स्थगित किया जाये। यहां बहुत कम उपस्थिति है। डोलोमाईट खदान से नुकसान होगा। उपस्थिति कम होगा। बाराद्वारा से दर्राभाटा 10 किमी तक विकास हो रहा है। बर्बाद मत कीजिऐ। ये अधिकार नहीं है। सब जानना चाह रहे है कितने लोग पक्ष व कितने लोग विपक्ष दिये है। कोई किसी से डरने वाला नहीं है।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर, एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–सक्ती तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 1:20 बजे अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–सक्ती द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 72 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका –टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 28 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 180–200 व्यक्ति उपस्थित थे। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अपर कलेक्टर एवं
अपर जिला दण्डाधिकारी,
जिला–सक्ती